राजेश कुमार एवं अन्य

बनाम

राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 380)

25 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धा. 293-सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट- न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में विशेषज्ञ का बयान-आवश्यकता-निर्धारितः अनिवार्य नहीं है।

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914-धा.61-शराब की तस्करी के तहत दोषसिद्धि-निचली अदालतों द्वारा पुष्टि-उच्च न्यायालय का धा.293 द.प्र.सं. के चिन्हित दस्तावेजों के रूप में निर्धारण करना, आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट को साबित करने के लिए गवाह के परीक्षण की आवश्यकता नहीं-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः दोषसिद्धि न्यायोचित, हालांकि छह महीने के साधारण कारावास की सजा गुजर चुकी अवधि तक घटायी गई- द.प्र.सं.1973- धा.293-सजा।

यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने हरियाणा से दिल्ली तक शराब की तस्करी की। छापा मारने वाले पक्ष ने उस वाहन को रोक

दिया, जिसमें अपीलार्थी थे और अपीलार्थियों को पकड़ लिया। शराब की बोतलें बरामद की गई। फॉर्म एम-29 भरा गया। नमूनों को सील कर आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजा गया। जिन नमूनों का व्हिस्की के रूप में सकारात्मक परीक्षण किय गया। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों ने नमूनों की बरामदगी के बारे में गवाही दी। याचिकाकर्ताआेें को अपराध धा.61 पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के लिए दोषसिद्घ ठहराया गया और छः महीने के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। सत्र न्यायाधीश ने आदेश को बरकरार रखा। पुनरीक्षण याचिका में सीलिंग और उत्पाद शुल्क नियंत्रण प्रयोगशाला में नमूने भेजने के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाह के संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला रिपोर्ट को साबित करने के लिए किसी भी गवाह से पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दस्तावेजों को धारा 293 द.प्र.सं. के संदर्भ में चिह्नित किया गया था। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1 धारा 293 द.प्र.सं. की उपधारा (1) और (2) के अध्ययन मात्र से पता चलता है कि यह अनिवार्य नहीं है कि एक विशेषज्ञ जो पदार्थ के रासायनिक परीक्षण के वैज्ञानिक मुद्दे पर अपनी राय देता है, को न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पदच्युत करना आवश्यक होगा। [पैरा 9] [395-एफ]

उषा कोल्हे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर.,1963 एस.सी. 1531; भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1988 एससी 1011- पर निर्भर किया।

2. इस निवेदन के संबंध में कि अपीलार्थी तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में व्यतीत कर चुका है और घटना लगभग 13 साल पहले हुई थी, उस समय संबंधित बिंदु पर कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं थी। ऐसा होने पर दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सजा को पहले से भुगती हुई अवधि तक कम कर दिया जाता है। [पैरा 10][395-जी; 396-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 380/2008

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सी.आर.एल. आर.पी.सं. 190/2006 में आदेश व निर्णय दिनांकित 18/1/2007 से

एम. एन. कृष्णमणि, सौम्यजीत पानी और अंसार अहमद चौधरी अपीलार्थियों की ओर से।

बी. बी. सिंह, आभा आर. शर्मा और डी. एस. मेहरा उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. स्वीकृति दी गई।

2. इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। पुनरीक्षण याचिका से चुनौती यह थी कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली, द्वारा विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

अपीलार्थियों पर आरोप लगाया गया था कि वे हरियाणा से दिल्ली तक शराब की तस्करी में शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सूचना मिलने पर एस. आई. ललित मोहन ने कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ, एक छापा मारने वाले दल का गठन किया और यातायात चौराहे के पास दिनांक 08-04-1994 को लगभग 1.45 ए.एम. पर इकट्ठा हुए और एक टाटा 407 वाहन को रोका, जिसमें अपीलार्थी यात्रा कर रहे थे। रुकने का संकेत दिए जाने के बावजूद गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। पुलिस अधिकारियों ने इसका पीछा किया और इसे रोक दिया और अपीलार्थियों को पकड़ लिया। अठारह डिब्बों में "बोनी स्कॉट" स्पेशल माल्ट व्हिस्की की 12 बोतलें थीं, जो प्रत्येक 750 एमएल की थी, जिन्हें बरामद किया गया। दो नमूना बोतलें, नमूनों के रूप में अलग से ली गईं और (प्रत्येक डिब्बे से

यानी 36 बोतलें)। नमूनों की बोतलों के सिर सफेद रंग के पुलंदा से बंद किये गये थे और "एल.एम.एन. अक्षरों से सील किया गया। फॉर्म एम-29 भी भरा गया था। मोहर हेड कांस्टेबल सतपाल सिंह को सौंप दी गई। एफ.आई.आर. दर्ज की गई और एक नक्शा मौका तैयार किया गया। अपीलार्थियों को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया और गिरफ्तार किया गया। आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला ने राय दी कि जमा किए गए नमूनों सैंपल का व्हिस्की के रूप में सकारात्मक परीक्षण हुआ। अपीलार्थियों पर पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 61 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था 1914(संक्षेप में 'अधिनियम')। वे दोषी नहीं होने का अनुरोध करते हुए विचारण का सामना करते रहे।

4. अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की। उन सभी ने नमूनों की बरामदगी के बारे में गवाही दी। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दी। हालाँकि, उन्होंने धारा 313 के तहत बयानों के माध्यम से आरोपों का खंडन किया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'द.प्र.सं.')

5. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व आदेश दिनांक 01.05.2001 से अपीलार्थियों को दोषी पाया और उन्हें छह महीने के साधारण कारावास व 2,000/- रुपये का जुर्माना तथा अदम अदायगी तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को की गई, जिसे आदेश दिनांक 22-02-2006 से खारिज कर दिया गया था।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र रुख यह था कि नमूने के प्रेषण में देरी हुई और रिपोर्टों को साबित करने के लिए किसी की जांच नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिका में कोई सार नहीं था। एस.आई. पी. डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-1 की सीलिंग व नमूनों को आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला भेजने के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए यह नोट किया गया था कि फॉर्म एम-29 पी.डब्ल्यू.-2 द्वारा बरामदगी के समय भरा गया था। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने गवाही दी कि पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा उसे ही भरा गया था। उपयोग के बाद सील पी.डब्ल्यू.-1 को सौंप दिया गया। इनका मोहर एम-29 के साथ मिलान किया गया था, जब आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला ने उन्हें सील कर दिया। यह नोट किया गया कि आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट को दस्तावेजों के रूप में साबित करने के लिए किसी भी गवाह से पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन दस्तावेजों को धारा 293 द.प्र.सं. के संदर्भ में चिह्नित किया गया था।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुतियों को दोहराया। दूसरी ओर, उत्तरदाता के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया कि नमूनों

को भेजने में कथित देरी के पहलू पर पी.डब्ल्यू.-1 या पी.डब्ल्यू.-3 दोनों में से किसी से भी कोई प्रश्न नहीं किया गया था।

8. धारा 293 द.प्र.सं. इस प्रकार हैः

"293. कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट-(1) कोई दस्तावेज़, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञकी, जिसे यह धारा लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लायी जा सकेगी।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा।

(3) जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है और वह स्वयं हाजिर होने में असमर्थ है वहां, उस दशा के सिवाय जिससे न्यायालय ने उसे स्वयं हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथा न्यायालय में उसकी ओर से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है, अर्थातः-

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक;

(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक;]

(ग) अंगुली-छाप कार्यालय निदेशक;

(घ) निदेशक, हाफकीन संस्थान, मुम्बई;

(ङ) किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक, [उप-निदेशक या सहायक निदेशक];

(च) सरकारी सीरम विज्ञानी।

[(छ) अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।]"

9. धारा 293 की उप-धाराओं (1) और (2) के अध्ययन मात्र से यह दर्शित है कि विशेषज्ञ, जो अपनी राय पदार्थ के रासायनिक परीक्षण के वैज्ञानिक मुद्दे पर देता है, उसे न्यायालय की कार्यवाही के समक्ष साक्ष्य हेतु पदच्युत करने की आवश्यकता नहीं है। इस पहलू पर उषा कोल्हे बनाम महाराष्ट्र राज्य (AIR 1963 एस. सी. 1531) और भूपिंदर सिंह बनाम

पंजाब राज्य (AIR 1988 एससी 1011) में प्रकाश डाला गया है इसलिए, जहां तक दोषसिद्धि का संबंध है, पुनरीक्षण याचिका में कोई सार नहीं है।

10. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी पहले ही तीन माह से अधिक के लिए न्यायिक हिरासत का सामना कर चुके हैं एवं घटना 13 वर्ष पूर्व हुई थी, उस समय संबंधित बिंदु पर कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं थी। ऐसा होने पर दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सजा को पहले से भुगती हुई अवधि तक कम कर दिया जाता है। आत्म-समर्पण करने की छूट का निवेदन आदेश दिनांक 12-04-2007 से स्वीकार किया गया।

11. अपील का निस्तारण किया गया।

एन.जे.

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गुंजन सिंह, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।